

कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) लखीमपुर-खीरी।

संख्या-183/अधि0/स0सु0/2020

दिनांक:-15-06-2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा-112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

और जहां उक्त अधिनियम की धारा-112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1377 दिनांक-06-04-2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या- 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लखीमपुर-खीरी जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है-

क्र० सं०	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			दू व्हीलर/ थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1-	लखीमपुर से बहराईच NH-730	रामापुर से धौरहरा	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा

क्र० सं०	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			दू. व्हीलर/ थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
2-	लखीमपुर से ढखेरवा वाया भुरकुंडा MDR75C	महेवागंज से ढखेरवा	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
3-	धौरहरा-निघासन-पलिया-गोविन्दनगर	धौरहरा-निघासन-पलिया-गोविन्दनगर	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
4-	लखीमपुर से निघासन-बेलरायाँ SH-21	महेवागंज से बेलरायाँ वाया निघासन	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
5-	लखीमपुर से पलिया वाया भीरा SH-90 व SH-25	महेवागंज से भीरा-पलिया	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
6-	लखीमपुर से गोला-खुटार-मैलानी NH-730	पहाड़ापुर से गोला-खुटार-मैलानी	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
7-	लखीमपुर से लहरपुर मार्ग SH-21	खीरी से लगुचा	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
8-	लखीमपुर से मोहम्मदी MDR86	पहाड़ापुर से मोहम्मदी	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
9-	मोहम्मदी से गोला SH-93	मोहम्मदी से गोला	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा

क्र० सं०	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			दू कीलर/ थ्री कीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4.5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
10-	मोहम्मदी से औरंगाबाद NH-730	मोहम्मदी से औरंगाबाद	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
11-	लखीमपुर से औरंगाबाद वाया कस्ता-मितौली MDR14	लखीमपुर से औरंगाबाद वाया कस्ता-मितौली	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
12-	पलिया से चन्दनचौकी SH-90 व MDR-6	पलिया से चन्दनचौकी	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
13-	पलिया से गौरीफंटा SH-90	पलिया से गौरीफंटा	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा
14-	मैगलगंज से जंगबहादुरगंज NH- 24	मैगलगंज से जंगबहादुरगंज	40 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	60 कि०मी० प्रति घण्टा	50 कि०मी० प्रति घण्टा

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा—

- मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर-प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह-जगह पर आई०आर०सी० कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेड्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।
- उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा—

अ) अग्नि शमन वाहन

ब) एम्बुलेंस ।

स) पुलिस वाहन ।

द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन ।

य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन ।

- (iii) उपरोक्त तालिका के कॉलम- 3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा- 112 की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक- 06-04-2018, समय-समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

(बी०के० सिंह)

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) लखीमपुर-खीरी।

पृ०सं०- ११७ /अधि०/स०सु०/2020 समदिनांकित-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- परिवहन आयुक्त, उ०प्र०।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ०प्र०।
- 3- जिलाधिकारी, लखीमपुर-खीरी।।
- 4- पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर-खीरी।
- 5- निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 6- अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) उ०प्र०।
- 7- उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), लखनऊ उ०प्र०।
- 8- सम्भागीय परिवहन अधिकारी लखनऊ उ०प्र०।
- 9- अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड-1/निर्माण खण्ड-3, लोक निर्माण विभाग, लखीमपुर-खीरी को इस आशय से प्रेषित कि अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मार्गों पर उपरोक्तानुसार गति निबन्धन सम्बन्धी बोर्ड प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
- 10- राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लखीमपुर/बरेली को इस आशय से प्रेषित कि अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मार्गों पर उपरोक्तानुसार गति निबन्धन सम्बन्धी बोर्ड प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन) लखीमपुर-खीरी।